184

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2742–एक/2015 – विरूद्ध – आदेश दिनॉक 13–7–2015 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्र0क0 443/2010–11 अपील

1– शशिवाई पत्नि स्व.राजमल जैन
2– सुनीतावाई पुत्री स्व. राजमल जैन
ग्राम दीपनाखेड़ी तहसील सिरोंज
जिला विदिशा मध्य प्रदेश
3– ममतावाई पुत्री स्व.राजमल जैन
पत्नि अनिल जैन निवासी विजयनगर
कपड़ा मिल के पीछे चांदवड़ भोपाल ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– चक्रेश पुत्र स्व.राजमल
2– अशोक जैन पुत्र स्व.राजमल
3– सुनील जैन पुत्र स्व.राजमल
4– लक्ष्मीवाई पुत्री स्व.राजमल
सभी ग्राम दीपनाखेड़ी तहसील सिरोंज
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री नीरज श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री अनोज गुप्ता)

आ दे श

(आज दिनॉक 15–2–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 443/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनॉक 13–7–15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है ग्राम दीपनाखेड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 190,192,193 कुल किता 3 कुल रकबा 4.046 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के भूमिस्वामी स्वर्गीय संतोषकुमार

थे, जिनकी बेओलाद मृत्यु होने पर नायव तहसीलदार सिरोंज ने प्रकरण कमांक 132/अ-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 18-3-10 से रू. दो लाख के कर्ज अदायगी शर्त स्वरूप वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग पर सुनीता जैन का तथा शेष 1/2 भाग पर आवेदक एंव अनावेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के समक्ष अपील कमांक 63/09-10 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 2-6-11 से नायव तहसीलदार का आदेश दि. 18-3-10 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्र. क. 443/2010-11 अपील में पारित आदेश दि. 13-7 -15 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो के तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 443/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनॉक 13-7-15 तथा अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के अपील कमांक 63/09-10 में पारित आदेश दिनांक 2-6-11 के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 2-6-11 से नायव तहसीलदार सिरोंज के आदेश दिनांक 18-3-10 निरस्त कर प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई करने एंव पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है और प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्व अपील श्रवण योग्य नहीं है फिर भी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल ने अग्राह्य अपील में सुनवाई कर गुणदोष के आधार पर आदेश दिनॉक 13-7-15 पारित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त के आदेश में प्रकियात्मक दोष होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कानुकम में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 2-6-2011 एंव नायव तहसीलदार सिरोंज के आदेश

दिनांक 18-3-10 का तुलनात्मक अध्ययन करने पर प्रतीत हुआ कि नायव तहसीलदार ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुना है तथा वादग्रस्त भूमि सुनीता जैन के पास रू. दो लाख में बन्धक होना प्रमाणित होने से एंव पॅजीकृत बसीयत दिनॉक 05 अगस्त 1999 की समीक्षा करते हुये वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग पर सुनीता जैन का तथा शेष 1/2 भाग पर आवेदकगण एंव अनावेदकगण का नामान्तरण मृतक ऋणी भूमिस्वामी की भूमि पर स्वीकार किया है। जब नायव तहसीलदार ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुना है एंव साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान किया है, अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज व्दारा आदेश दिनांक 2-6-2011 से पक्षकारों को पुनः सुनने एंव साक्ष्य लेने के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित करना पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाना माना जावेगा। यदि किसी पक्षकार को नायव तहसीलदार व्दारा हक का विनिश्चय असमान करने पर आपत्ति है तव स्वत्व प्रमाणित करने के लिये व्यवहार न्यायालय से आदेश लाने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज व्दारा अपील कमांक 63/09-10 में पारित आदेश दिनांक 2-6-11 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 443/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनॉक 13-7-15 एंव अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज व्द्वारा अपील कमांक 63/09-10 में पारित आदेश दिनांक 2-6-11 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । फलतः नायव तहसीलदार सिरोंज व्दारा प्रकरण कमांक 132/अ-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 18-3-10 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर